

## न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- डॉ० अरुण गर्ग  
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 392/2025

श्रीमती सन्तरा देवी पत्नि स्व० श्रीचन्द्र सिंह, ग्राम गाडोदियों की ढाणी, ग्रा०प० पुजारी की ढाणी, तहसील नवलगढ,  
जिला झुंझुनू, पिन कोड 333304, मो०न० 9694142646

बनाम

लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) नवलगढ।

सूचना का अधिकार अधिनियम  
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

### आदेश

दिनांक 06.10.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ( अपीलार्थी ) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 16.09.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 392/2025 पर दिनांक 16.09.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) नवलगढ के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025 /4287-88 दिनांक 16.09.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) नवलगढ ने पत्रांक सू०अ०अ०/2025/378 दिनांक 03.10.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा चाही गई खाद्य सुरक्षा पोर्टल से संबंधित है। श्रीमान्जी वर्तमान पोर्टल पर वर्तमान फार्म की सूचना उपलब्ध है। पूर्व महीनों की सूचना उपलब्ध नहीं होने से आवेदनकर्ता को सूचना दिया जाना संभव नहीं है। अतः उक्त क्रम में आवेदनकर्ता को इस कार्यालय के पत्रांक 376 दिनांक 29.09.2025 के द्वारा अवगत करा दिया गया है। अतः आवेदनकर्ता को सूचना के संबंध में अवगत करवा दिया गया है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) नवलगढ द्वारा पत्रांक सू०अ०अ०/2025/378 दिनांक 03.10.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा चाही गई खाद्य सुरक्षा पोर्टल से संबंधित है। श्रीमान्जी वर्तमान पोर्टल पर वर्तमान फार्म की सूचना उपलब्ध है। पूर्व महीनों की सूचना उपलब्ध नहीं होने से आवेदनकर्ता को सूचना दिया जाना संभव नहीं है। अतः उक्त क्रम में आवेदनकर्ता को इस कार्यालय के पत्रांक 376 दिनांक 29.09.2025 के द्वारा अवगत करा दिया गया है। अतः आवेदनकर्ता को सूचना के संबंध में अवगत करवा दिया गया है। चूंकि प्रार्थी को चाही गई सूचना के क्रम में वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 06.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



( डॉ० अरुण गर्ग )

जिला कलक्टर, झुंझुनू